भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1906

(जिसका उत्तर सोमवार, 19 दिसंबर, 2022/28 अग्रहायण, 1944 (शक) को दिया जाना है।)

"प्रत्यक्ष करों का संग्रहण"

†**1906. डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हे :**
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री गजानन कीर्तिकर:
श्री कुलदीप राय शर्मा:
श्री सी.एन.अन्नादुरई:
श्री धनुष एम.कुमार:
डॉ. सुभाष रामराव भामरे:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान संग्रह किए गए प्रत्यक्ष करों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सरकार द्वारा प्राप्त कुल प्रत्यक्ष कर का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्यक्ष कर संग्रहण 35.46 प्रतिशत है जो पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल संग्रह से अधिक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उच्च प्रत्यक्ष कर संग्रहण प्राप्त करने में सरकार को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है;

(घ) क्या सरकार ने प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ड.) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान माल और सेवा कर (जीएसटी) के अंतर्गत संग्रहीत अप्रत्यक्ष करों का ब्यौरा क्या है और गैर-जीएसटी अप्रत्यक्ष कर संग्रहण में आए परिवर्तन का प्रतिशत और कितना है;

(च) प्रत्यक्ष कर संग्रहण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा कौन-कौन से अन्य कदमों पर विचार किया गया है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान एकत्रित प्रत्यक्ष करों का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण (निवल)
2019-20	10,50,681
2020-21	9,47,176
2021-22	14,12,422
2022-23 (30.11.2022 तक)	8,77,470

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीबीडीटी

(ख) प्रत्यक्ष कर व्यवस्था के तहत, सभी प्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार द्वारा एकत्र किए जाते हैं। पिछले 3 वर्षों में सरकार द्वारा एकत्रित प्रत्यक्ष करों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक क के अनुसार है। राज्य-वार प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विवरण वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार किए जाते हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2022-23 (30.11.2022 तक) का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के सकल प्रत्यक्ष कर संग्रहण की तुलना में 29.66% अधिक है। जिसका विवरण इस प्रकार हैं:

(राशि, करोड़ रुपये में)

वित्तीय वर्ष	कुल कर संग्रहण (सकल)
2021-22 (30.11.2021 तक)	8,43,301
2022-23 (30.11.2022 तक)	10,93,385

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक**,** सीबीडीटी

इस संदर्भाधीन अवधि में, अर्थव्यवस्था में सुधार, प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रावधानों के प्रशासन और कार्यान्वयन के कारण कर संग्रहण में वृद्धि हासिल की गई है।

(घ) सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान के रूप में प्रत्यक्ष करों के संग्रहण के लिए 14,20,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया है।

स्रोत: प्राप्ति बजट, वित्त वर्ष 2022-23

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान माल और सेवा कर (जीएसटी) के तहत एकत्र किए गए अप्रत्यक्ष करों का विवरण और गैर-जीएसटी अप्रत्यक्ष कर संग्रह से कर संग्रहण में आए प्रतिशत परिवर्तन का विवरण अनुलग्नक ख में दिया गया है।

(च) प्रत्यक्ष कर संग्रह की प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए हैं जिसके अन्तर्गत कर चोरी का नियंत्रण करना, कर आधार को विस्तृत/गहन बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को बढ़ावा देना, डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना और करदाताओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न 'आउटरीच' प्रयास शामिल हैं । इन प्रयासों का विवरण अनुलग्नक ग में दिया गया है।

****

अनुलग्नक क

प्रत्यक्ष कर (निवल) संग्रहण			**(करोड़ रुपये में)**
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	116.17	67.88	88.86
आंध्र प्रदेश	42730.45	40314.07	56663.27
अरुणाचल प्रदेश	241.48	182.06	233.34
असम	4723.02	4550.89	5688.45
बिहार	5723.48	5381.96	7396.60
चंडीगढ़	2668.12	1868.01	3574.08
छत्तीसगढ	5008.88	4451.08	7782.70
दादरा और नगर हवेली	269.65		
दमन और दीव	264.40	548.34	985.00
दिल्ली	149613.12	120120.94	177824.22
गोवा	2170.29	2655.27	2879.41
गुजरात	49517.69	46863.55	71642.27
हरियाणा	27824.12	24492.81	37729.33
हिमाचल प्रदेश	2482.26	2322.74	3072.86
जम्मू और कश्मीर	1318.29	1036.83	1778.40
झारखंड	6637.17	5581.39	7031.06
कर्नाटक	108973.15	116254.58	168678.09
केरल	15164.10	14515.59	19562.02
लद्दाख	0.00	0.02	-0.06
लक्षद्वीप	20.36	20.77	28.79
मध्य प्रदेश	18698.24	13283.23	18137.83
महाराष्ट्र	384258.21	331969.03	524497.64
मणिपुर	139.11	417.65	310.50
मेघालय	1101.54	999.73	1063.86
मिजोरम	42.28	44.07	90.14
नागालैंड	134.77	176.91	292.70
ओडिशा	13581.03	10257.99	15587.24
पांडिचेरी	805.41	611.86	991.78
पंजाब	11703.85	10491.10	15981.11
राजस्थान	16507.93	17539.35	25215.64
सिक्किम	400.26	291.82	384.10

तमिलनाडु	69809.31	61122.33	88438.33
तेलंगाना	14045.81	15853.93	27184.95
त्रिपुरा	292.02	488.73	424.19
उत्तर प्रदेश	26990.00	26735.17	34719.83
उत्तराखंड	3406.16	3088.27	4208.44
पश्चिम बंगाल	40628.71	40310.24	53774.61
कुल	1028010.86	924,910.17	1,383,941.62
सीटीडीएस	22669.70	22266.20	28480.83
कुल योग	1050680.56	947176.37	1412422.45

प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा सुरक्षति रखे गए खातों का कोई राज्य-वार विभेदन/वितरण नहीं है। तथापि, उपरोक्त डेटा को प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा एनएसडीएल से प्राप्त इनपुट के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। ।

स्रोत: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अनुलग्नक ख

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रतिशत परिवर्तन सहित निवल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर संग्रहण का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि, करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कर शीर्ष	वित्तीय वर्ष		
		2019-20	2020-21	2021-22 [पी]
1.	सीमा शुल्क	1,09,283	1,34,750	1,99,728
2.	संघ उत्पाद शुल्क	2,39,452	3,89,667	3,90,808
3.	सेवा कर (बकाया)	6,029	1,615	1,012
4.	उप-योग गैर-जीएसटी [1+2+3]	3,54,764	5,26,032	5,91,548
	% वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)	-0.3%	48.3%	12.5%
5.	सीजीएसटी	4,94,071	4,56,334	5,91,226
6.	आईजीएसटी	9,125	7,251	3,244
7.	सीसी	95,553	85,192	1,04,769
8.	उप-योग जीएसटी [5+6+7]	5,98,749	5,48,777	6,99,239
	% वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)	3.0%	-8.3%	27.4%
9.	कुल निवल केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर [जीएसटी+ गैर-जीएसटी] [4+8]	9,53,513	10,74,810	12,90,787
10.	% वृद्धि (वर्ष दर वर्ष)	1.7%	12.7%	20.1%

स्रोत:- वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए: प्राप्ति बजट, 2021-22: प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक ***(सीबीआईसी); [पी]: अनंतिम***

अनुलग्नक ग

<u>प्रत्यक्ष कर संग्रहण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उठाए गए कदम</u>

I. सरकार ने कर अपवंचन को रोकने और कर आधार को व्यापक और गहन बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- **अद्यतन विवरणी-** आयकर अधिनियम, 1961 (आयकर अधिनियम) में एक नया प्रावधान शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत करदाता प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के अंत से दो साल के भीतर कभी भी अपनी विवरणी अद्यतन कर सकता है। एक करदाता स्वैच्छिक रूप से चूक या गलतियों को स्वीकार करके और लागू अतिरिक्त कर का भुगतान करके एक अद्यतन विवरणी दाखिल कर सकता है। वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) के माध्यम से पहले निष्क्रिय रूप से सूचना साझा करने और फिर ई-सत्यापन योजना के माध्यम से सक्रिय रूप से साझा करने का एक औपचारिक तंत्र हाल ही में सक्षम किया गया है। इस दो-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से गैर-दखलंदाजी स्वैच्छिक अनुपालन को तैयार किया गया है ताकि विभाग के पास उपलब्ध जानकारी तक करदाता की पहुंच को सक्षम किया जा सके और आय की विवरणी को अद्यतन करने की अनुमति देते हुए चूक/त्रुटियों/निगरानी को ठीक करने के लिए करदाता को प्रेरित किया जा सके।
- **स्रोत पर कर कटौती / स्रोत पर** संग्रहीत **कर के दायरे का विस्तार : स्रोत** पर कर कटौती (टीडीएस) और स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) में व्यापार या पेशे के संबंध में, विदेशी प्रेषण**, लक्जरी कार की खरीद, ई-कॉमर्स लेनदेन, माल की खरीद/बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण** आदि के संबंध में वर्चुअल डिजिटल संपत्ति, लाभ या अनुलाभ जैसे नए लेनदेन को शामिल करते हुए इसके दायरे को व्यापक किया गया है।
- फाइल न करने वालों और नॉन-पैन मामलों के लिए टीडीएस/टीसीएस दरों में वृद्धि की गई है।
- ई-प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन विज्ञापन के लिए 6% और वस्तुओं की बिक्री/सेवाएं प्रदान करने के लिए 2% की दर से समानीकरण लेवी की शुरुआत की गई है।
- पैन का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है और पैन और आधार को लिंक करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।
- काला धन अधिनियम को अधिनियमित किया गया है और बेनामी अधिनियम लागू किया गया है।
- कर अपवंचन रोकने के लिए आयकर अधिनियम में कई संशोधन किए गए हैं।
- प्रत्यक्ष कर कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ उचित कार्रवाई विभिन्न तरीकों से की जाती है, जिसमें तलाशी और जब्ती कार्रवाई, सर्वेक्षण, आय का आकलन, कर लगाना, जुर्माना लगाना और उपयुक्त मामलों में अभियोजन शुरू करना शामिल है। ये कार्रवाइयां कर चोरी के खिलाफ निवारक प्रभाव पैदा करती हैं, जिससे अधिक प्रभावी प्रत्यक्ष कर संग्रह होता है।

II. सरकार ने करदाताओं के लिए अनुपालन को आसान बनाकर स्वैच्छिक आयकर अनुपालन को बढ़ावा दिया है:

- पारदर्शी, कुशल और जवाबदेह आयकर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और फेसलेस पेनल्टी स्कीम शुरू की गई हैं।
- आयकर रिटर्न की आसान और सटीक फाइलिंग की सुविधा के लिए रिटर्न की प्री-फाइलिंग शुरू की गई है।
- करदाताओं को अधिक जानकारी देने के लिए प्रपत्र 26कध को फिर से डिजाइन किया गया है, जिससे आयकर विवरणी फाइलिंग सही हो सके।
- कई अनुपालन कम कर दिए गए हैं।

III. कम नकदी वाली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सरकार ने डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं:

- कर लेखा परीक्षा की सीमा को बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जहां व्यापार में 95% लेनदेन गैर-नकदी माध्यम से होता है।

- एक सीमा से अधिक नकद निकासी पर टीडीएस की शुरुआत की गई है।
- यदि व्यवसाय डिजिटल लेनदेन के माध्यम से होता है, तो छोटे व्यवसाय के लिए प्रकल्पित कर की दर कम कर दी गई है।
- 50 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाले व्यवसायों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से निःशुल्क भुगतान प्रदान करें।
- नकद लेनदेन की सीमा कम कर दी गई है।

IV सरकार ने करदाताओं तक पहुंचने के लिए विभिन्न 'आउटरीच' प्रयास किए हैं:

- पारंपरिक मीडिया (टीवी, रेडियो, प्रिंट, वेब और सिनेमा सहित) और मीडिया अभियान (सोशल मीडिया सहित) पर व्यापक प्रचार ताकि स्वैच्छिक अनुपालन के लिए जानकारी की सुविधा की जा सके।
- प्रत्यक्ष करों के बारे में भविष्य के करदाताओं को शिक्षित करने के लिए डिजिटल कॉमिक बुक्स और बोर्ड गेम्स का विमोचन
- यूट्यूब पर 'संवाद' सत्र के रूप में आयकर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ टॉक शो
- आयकर संपर्क केंद्र (एएसके) की स्थापना के माध्यम से करदाताओं की सुविधा - करदाता सेवाओं के वितरण के लिए एकल खिड़की प्रणाली
- ऑनलाइन भुगतान/करों की गणना, शिकायतों को दूर करने आदि की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड/आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध) और करदाता सेवा (टीपीएस) सेक्शन का उत्तरदायी संस्करण राष्ट्रीय वेबसाइट पर " आयकर सेतु" के नाम से लॉन्च किया गया है।
- करदाता लाउंज में हेल्पडेस्क कियोस्क
- आयकर के विभिन्न पहलुओं पर विवरणिका का प्रकाशन।

****